मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू

खंड XXI अंक 7 अक्तूबर 2025

एमसीआईआर

विषय-वस्तु

	खंड	पृष्ठ
I.	मौद्रिक नीति	1-2
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की 619वीं बैठक	2
III.	विनियमन	2-3
IV.	एसएसी की 30वीं बैठक	3
V.	ग्राहक संरक्षण	3
VI.	प्रकाशन	3-4
VII.	जारी आंकड़े और सर्वेक्षण	4

संपादक की कलम से

एमसीआईआर के अक्तूबर 2025 अंक में एक माह की ज़रूरी नीतिगत और संस्थागत गतिविधियों को दर्शाया गया है। 1 अक्तूबर 2025 को गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा के मौद्रिक नीति वक्तव्य में, मुद्रास्फीति कम होने के बीच संवृद्धि बनाए रखने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण के साथ वातावरण बनाया गया, जिसे इक्कीस विकासात्मक और विनियामक उपायों के पैकेज से पूरा किया गया। रिज़र्व बैंक के केंद्रीय मंडल की 619वीं बैठक उदयपुर में गवर्नर की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जहाँ बोर्ड ने अखंडता की शपथ और राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ ली और वैश्विक और घरेलू आर्थिक स्थिति, भू-राजनैतिक और वित्तीय बाज़ार की गतिविधि और प्रमुख विभागों और विभिन्न उप-समितियों के कामकाज की समीक्षा की।

हम सही जानकारी साझा करने और गहरी समझ बढ़ाने के अपने लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हैं। एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in पर या क्यूआर कोड स्कैन करके भी देखा जा सकता है। हम mcir@rbi.org.in पर आपकी प्रतिक्रिया का स्वागत करते हैं।

ब्रिज राज
संपादक

I. मौद्रिक नीति

1 अक्तूबर 2025 को गवर्नर का मौद्रिक नीति वक्तव्य

गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा ने 1 अक्तूबर 2025 को मौद्रिक नीति वक्तव्य की घोषणा की। वक्तव्य के अनुसार, अगस्त में आयोजित नीति की बैठक के बाद से, तेज़ी से बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के बीच घरेलू स्तर पर हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रमों ने भारत में संवृद्धि-मुद्रास्फीति की गतिशीलता की कहानी बदल दी है। अच्छे मानसून से उत्साहित, भारतीय अर्थव्यवस्था 2025-26 की पहली तिमाही में उच्च वृद्धि दर्ज करके मज़बूती का प्रदर्शन जारी रखे हुए है। साथ ही, हेडलाइन मुद्रास्फीति में भी उल्लेखनीय कमी आई है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों को युक्तिसंगत बनाने से मुद्रास्फीति पर नरमी का प्रभाव पड़ने की संभावना है, साथ ही उपभोग और संवृद्धि को भी बढ़ावा मिलेगा। दूसरी ओर, टैरिफ़ से निर्यात में कमी आएगी।

वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, अमेरिका और चीन में मजबूत संवृद्धि के कारण यह अनुमान से कहीं ज़्यादा आघात-सह रही है। हालाँकि, नीतिगत अनिश्चितताओं के बीच, संभावना अभी भी अस्पष्ट बना हुआ है। कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति अपने-अपने लक्ष्यों से ऊपर बनी हुई है, जिससे केंद्रीय बैंकों के लिए नई चुनौतियाँ खड़ी हो रही हैं क्योंकि उन्हें संवृद्धि-मुद्रास्फीति की बदलती गतिशीलता से निपटना है। वित्तीय बाज़ारों में उतार-चढ़ाव रहा है। दूसरी तिमाही के अमेरिकी संवृद्धि दर के आंकड़ों में बढ़ोतरी के बाद अमेरिकी डॉलर मज़बूत हुआ है, और फ़ेडरल रिज़र्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कम होने के कारण हाल ही में ट्रेज़री प्रतिफल में भी तेज़ी आई है। कई उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के शेयर बाज़ार में तेज़ी बनी हुई है।

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक 29, 30 सितंबर और 1 अक्तूबर को सम्पन्न हुई, जिसमें नीतिगत रेपो दर पर विचार-विमर्श और निर्णय लिया गया। उभरती हुई समष्टि-आर्थिक स्थितियों और संभावना के विस्तृत आकलन के बाद, एमपीसी ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर को 5.50 प्रतिशत पर यथावत् रखने का निर्णय लिया; परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 5.25 प्रतिशत पर बनी रहेगी, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 5.75 प्रतिशत पर बनी रहेंगी। एमपीसी ने तटस्थ रुख बनाए रखने का भी निर्णय लिया।

एमपीसी ने पाया कि खाद्य कीमतों में तीव्र गिरावट और जीएसटी दरों के युक्तिकरण के कारण, पिछले कुछ महीनों में समग्र मुद्रास्फीति की संभावना और भी अधिक अनुकूल हो गई है। 2025-26 के लिए औसत हेडलाइन मुद्रास्फीति को जून में अनुमानित 3.7 प्रतिशत और अगस्त में 3.1 प्रतिशत से कम करके 2.6 प्रतिशत कर दिया गया है। 2025-26 की चौथी तिमाही और 2026-27 की पहली तिमाही के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति को भी अधोगामी संशोधित किया गया है और प्रतिकूल आधार प्रभावों के बावजूद, मोटे तौर पर लक्ष्य के अनुरूप है। इस वर्ष और 2026-27 की पहली तिमाही के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति के भी नियंत्रित रहने की उम्मीद है।

एमपीसी ने यह भी कहा कि कमजोर बाह्य मांग के बावजूद, घरेलू कारकों के समर्थन से संवृद्धि की संभावनाएँ मज़बूत बनी हुई हैं। अनुकूल मानसून, कम मुद्रास्फीति, मौद्रिक सहजता और हाल के जीएसटी सुधारों के सकारात्मक प्रभाव से इसे और समर्थन मिलने की संभावना है। हालाँकि, संवृद्धि दर हमारी अपेक्षाओं से कम बनी हुई है। तथापि, चालू वित्त वर्ष के लिए संवृद्धि के अनुमान को ऊर्ध्वगामी संशोधित किया जा रहा है, तथा जीएसटी दरों के युक्तिकरण से मिली गति से यह आंशिक रूप से ऑफसेट होने के बावजूद तीसरी तिमाही और उसके बाद के लिए पूर्वानुमान पहले के अनुमानों से थोड़े कम रहने की उम्मीद है, जिसका मुख्य कारण व्यापार संबंधी बाधाएँ हैं।

संक्षेप में, एमपीसी ने निष्कर्ष निकाला कि मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय कमी आई है। इसके अलावा, मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं और टैरिफ संबंधी घटनाक्रमों के कारण 2025-26 की दूसरी छमाही और उसके बाद संवृद्धि दर में गिरावट आने की संभावना है। वर्तमान समष्टि-आर्थिक परिस्थितियों और संभावना ने संवृद्धि को और अधिक समर्थन देने के लिए नीतिगत गुंजाइश प्रदान किया है। हालाँकि, एमपीसी ने कहा कि मौद्रिक नीति की अग्रिम उपायों और हालिया राजकोषीय उपायों का प्रभाव अभी भी जारी है। व्यापार संबंधी अनिश्चितताएँ भी सामने आ रही हैं। इसलिए, एमपीसी ने अगली कार्रवाई तय करने से पहले नीतिगत कार्रवाइयों के प्रभाव और अधिक स्पष्टता आने तक इंतज़ार करना ही समझदारी भरा कदम समझा। तदनुसार, एमपीसी ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर को 5.5 प्रतिशत पर यथावत् रखने के लिए वोट किया और रुख को तटस्थ बनाए रखने का निर्णय लिया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

II. भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की 619वीं बैठक

भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड की 619वीं बैठक 31 अक्तूबर 2025 को उदयपुर में श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। केंद्रीय निदेशक बोर्ड ने चल रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 के उपलक्ष्य में सत्यनिष्ठा शपथ और सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस शपथ भी ली।

बोर्ड ने उभरते वैश्विक और घरेलू आर्थिक परिदृश्य का मूल्यांकन किया, जिसमें उभरती भू-राजनीतिक और वित्तीय बाज़ार के घटनाक्रम तथा उससे जुड़ी चुनौतियाँ भी शामिल थीं। बोर्ड ने केंद्रीय बोर्ड की विभिन्न उप-समितियों के कामकाज की समीक्षा की और निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय गारंटी निगम तथा उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग सहित चुनिंदा केंद्रीय कार्यालय विभागों की गतिविधियों का मूल्यांकन किया।

उप गवर्नर श्री टी. रबी शंकर, श्री स्वामीनाथन जे., डॉ. पूनम गुप्ता, श्री शिरीष चंद्र मुर्मू और केंद्रीय बोर्ड के अन्य निदेशक - श्री नागराजू मद्दिराला, सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग; सुश्री अनुराधा ठाकुर, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग; श्री सतीश के. मराठे, श्रीमती रेवती अय्यर, श्री पंकज रमणभाई पटेल और डॉ. रवीन्द्र एच. धोलकिया - बैठक में शामिल हुए।

गवर्नर ने बैंकिंग क्षेत्र की सुदृढ़ता और प्रतिस्पर्धात्मकता को मज़बूत करने, ऋण प्रवाह में सुधार, व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देने, विदेशी मुद्रा प्रबंधन को सरल बनाने, उपभोक्ता संतुष्टि बढ़ाने और भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य से इक्कीस अतिरिक्त उपायों के एक पैकेज की भी घोषणा की। इनमें (i) विनियमन; (ii) विदेशी मुद्रा प्रबंधन; (iii) उपभोक्ता संरक्षण और (iv) वित्तीय बाज़ारों से संबंधित विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीतिगत उपाय शामिल थे।

एमपीसी का कार्यवृत्त

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडबी के तहत गठित मौद्रिक नीति समिति की 57वीं बैठक 29, 30 सितंबर और 1 अक्तूबर 2025 के दौरान आयोजित की गई।

तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडएल के अंतर्गत, रिज़र्व बैंक ने बैठक की कार्यवाही का कार्यवृत्त 15 अक्तूबर 2025 को, अर्थात् एमपीसी की बैठक के चौदहवें दिन प्रकाशित किया। एमपीसी ने संभावनाओं के विभिन्न जोखिमों के इर्द-गिर्द स्टाफ के समष्टि आर्थिक अनुमानों और वैकल्पिक परिदृश्यों की विस्तृत रूप से समीक्षा की। एमपीसी ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपभोक्ता विश्वास, परिवारों की मुद्रास्फीति प्रत्याशा, कॉर्पोरेट क्षेत्र के कार्य-निष्पादन, ऋण की स्थिति, औद्योगिक, सेवाओं और अवसंरचना क्षेत्रों की संभावनाएं और पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं के अनुमानों का आकलन करने के लिए किए गए सर्वेक्षणों की समीक्षा की। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

III. विनियमन

प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को निदेश - निर्यातकों, आयातकों और वस्तु (मर्चेंटिंग) व्यापारियों को सहूलियत प्रदान करने तथा उन पर अनुपालन बोझ को कम करने संबंधी उपाय

रिज़र्व बैंक ने 1 अक्तूबर 2025 को ए.पी. (डीआईआर शृंखला) परिपत्र संख्या 11 और 12 जारी किए, जिसमें निर्यातकों, आयातकों और वस्तु व्यापारियों को परिचालनगत सुविधा प्रदान करने और उन पर अनुपालन बोझ को कम करने के लिए उपाय प्रस्तुत किए गए।

मर्चेंटिंग ट्रेड लेनदेन (एमटीटी) के संबंध में, वैश्विक व्यापार संबंधी अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय व्यापारियों को अपने एमटीटी को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 अक्तूबर 2025 को ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 11 जारी किया, जिसमें एमटीटी के मामले में विदेशी मुद्रा परिव्यय की समयावधि को चार महीने से बढ़ाकर छह महीने करने का निर्णय लिया गया।

निर्यातकों और आयातकों पर अनुपालन बोझ को कम करने के लिए लदान बिलों और प्रविष्टि पत्रों को बंद करने की सरल प्रक्रिया के संबंध में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आयात डेटा प्रसंस्करण और प्रबंधन प्रणाली (आईडीपीएमएस) में रिपोर्ट किए गए छोटे मूल्य के आयात लेनदेन को भी ऐसे लेनदेन के मिलान/समापन की सरल प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 अक्तूबर 2025 को ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 12 जारी किया है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में शाखा अथवा कार्यालय की स्थापना) विनियमावली, 2025 का मसौदा

रिज़र्व बैंक ने 3 अक्तूबर 2025 को विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में एक शाखा कार्यालय या संपर्क कार्यालय या एक परियोजना कार्यालय या व्यवसाय के किसी अन्य स्थान की स्थापना) विनियमावली, 2016 में संशोधन का मसौदा जारी किया। समीक्षा के बाद, निम्नलिखित वर्तमान विनियमों में निम्नानुसार संशोधन करने का निर्णय लिया गया है:

i. भारत में व्यवसाय की स्थापना के लिए पात्रता मानदंड में ढील देने का प्रस्ताव है।

ii. मसौदा प्रस्ताव निर्देशात्मक से सिद्धांत-आधारित ढांचे में परिवर्तित होकर अधिक परिचालन स्वतंत्रता प्रदान करता है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक परिचालन स्वतंत्रता प्राप्त होने की आशा है।

iii. गैर-अनुपालन और निष्क्रिय शाखा/कार्यालय को बंद करने की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव है।

विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

विदेशी मुद्रा प्रबंध (उधार लेना तथा उधार देना) विनियमावली, 2018 के अंतर्गत बाह्य वाणिज्यिक उधार ढांचे का मसौदा

रिज़र्व बैंक ने 3 अक्तूबर 2025 को विदेशी मुद्रा प्रबंध (उधार लेना तथा उधार देना) विनियमावली, 2018 में संशोधनों का मसौदा जारी किया, ताकि बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) से संबंधित विनियमों को युक्तिसंगत बनाया जा सके। प्रस्तावित विनियमों की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

क) उधार लेने की सीमा को उधारकर्ता की वित्तीय क्षमता से जोड़ने का प्रस्ताव है तथा ईसीबी को बाजार द्वारा निर्धारित ब्याज दरों पर जुटाने का प्रस्ताव है।

ख) अंतिम उपयोग प्रतिबंधों और न्यूनतम औसत परिपक्वता आवश्यकताओं को सरल बनाने का प्रस्ताव है।

ग) ऋण प्रवाह के अवसरों को बढ़ाने के लिए ईसीबी लेनदेन के लिए पात्र उधारकर्ता और ऋणदाता आधार का विस्तार करने का प्रस्ताव है।

घ) अनुपालन दायित्वों को आसान बनाने के लिए रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को सरल बनाया जा रहा है।

विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

IV. एमएसएमई क्षेत्र को ऋण प्रवाह की समीक्षा के लिए स्थायी सलाहकार समिति (एसएसी) की 30वीं बैठक

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को ऋण के प्रवाह की समीक्षा करने के लिए स्थायी सलाहकार समिति (एसएसी) की 30वीं बैठक 27 अक्तूबर 2025 को कोयंबटूर में श्री स्वामीनाथन जे, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में आरबीआई के कार्यपालक निदेशकों, एमएसएमई मंत्रालय के अपर सचिव और वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव; अध्यक्ष, सिडबी; एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशकों, प्रमुख बैंकों और नाबार्ड के वरिष्ठ प्रबंधन; सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई), नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी), खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), भारतीय बैंक संघ (आईबीए), वित्त उद्योग विकास परिषद (एफ़आईडीसी) और एमएसएमई संघों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। एसएसी की पिछली दो बैठकें लखनऊ और अहमदाबाद में हुई थीं। एसएसी ने एमएसएमई को ऋण प्रवाह की समीक्षा की और अन्य मुद्दों के साथ-साथ क्षेत्र के लिए ऋण अंतर से संबंधित मुद्दों को पाटने, बेहतर ऋण सहबद्धता के लिए नकद- प्रवाह आधारित उधार और डिजिटल समाधान, ट्रेड्स को अपनाने में तेजी लाने, क्रेडिट गारंटी योजनाओं के प्रयोग को बढ़ाने तथा एमएसएमई इकाइयों का पुनरुद्धार और पुनर्वास से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।

आरबीआई ने "भारतीय रिज़र्व बैंक (संबंधित पक्षों को उधार) निदेश, 2025" के मसौदे पर टिप्पणियां आमंत्रित की

रिज़र्व बैंक ने 3 अक्तूबर 2025 को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए "भारतीय रिज़र्व बैंक (संबंधित पक्षों को उधार) निदेश, 2025" का मसौदा जारी किया। इसका उद्देश्य संबंधित पक्षों को ऋण देने के साथ-साथ, मौजूदा प्रावधानों को उचित रूप से युक्तिसंगत बनाते हुए, एक सुसंगत, सिद्धांत-आधारित ढाँचा प्रदान करना, जिसे विनियमित संस्थाओं द्वारा अपनाया जा सके। प्रस्तावित ढाँचे के प्रमुख प्रावधान निम्नानुसार हैं:

क. पैमाना- आधारित तथ्यात्मक आरंभिक सीमा का शुभारंभ, जिससे अधिक किसी विनियमित संस्था के संबंधित पक्षों को उधार देने के लिए बोर्ड या उसकी समिति के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।
ख. इन निदेशों के प्रयोजनार्थ किसी विनियमित संस्था के 'संबंधित व्यक्तियों' के दायरे से अन्य बैंकों के स्वतंत्र निदेशकों को बाहर रखा जाएगा।
ग. कुछ प्रकार के ऋणों के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 (1) (बी) से सिद्धांत-आधारित छूट।
घ. संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन पर विनियमित संस्थाओं द्वारा उपयुक्त पर्यवेक्षी रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण आवश्यकताएं।
विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

भारत कनेक्ट के माध्यम से एफएक्स-रिटेल प्लेटफॉर्म तक पहुंच

क्लियरकॉर्प डीलिंग सिस्टम्स (इंडिया) लिमिटेड (क्लियरकॉर्प) के एफएक्स-रिटेल प्लेटफॉर्म को भारत बिल भुगतान प्रणाली (भारत कनेक्ट) से संबद्ध कर दिया गया है। इस संबद्धता से सहभागी बैंकों में बैंक खाते रखने वाले व्यक्तिगत ग्राहक, सहभागी बैंकों के सक्षम डिजिटल चैनलों और तृतीय पक्ष एप्लिकेशन प्रदाता (टीपीएपी) के माध्यम से एफएक्स-रिटेल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण और लेनदेन कर सकेंगे। एफएक्स-रिटेल के मौजूदा ग्राहकों के लिए, यह संबद्धता प्लेटफॉर्म तक पहुँचने का एक और विकल्प प्रदान करेगी। इस संबद्धता पर एक प्रायोगिक परियोजना आज ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में श्री टी. रबी शंकर, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शुरू की गई है।
विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

V. ग्राहक संरक्षण

रिज़र्व बैंक – एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2021 – राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों को शामिल करना

रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों को रिज़र्व बैंक - एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2021 (योजना) के दायरे में लाने के लिए 7 अक्तूबर 2025 को एक अधिसूचना जारी की है, जो **1 नवंबर 2025** से प्रभावी होगी। इस विस्तार के साथ, इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित विनियमित संस्थाएं शामिल होंगी:

क. सभी वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, और गैर-अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक जिनकी जमा राशि पिछले वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र की तिथि तक ₹50 करोड़ और उससे अधिक है।

ख. सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों को छोड़कर) जो (क) जमाराशियाँ स्वीकार करने के लिए अधिकृत हैं; या (ख) जिनके पास ग्राहक इंटरफेस है, जिनकी आस्ति का आकार पिछले वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र की तिथि के अनुसार ₹100 करोड़ और उससे अधिक है।

ग. योजना के अंतर्गत परिभाषित सभी प्रणालीगत प्रतिभागी।

घ. साख सूचना कंपनियाँ।

विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VI. प्रकाशन

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन – अक्तूबर 2025

रिज़र्व बैंक ने 20 अक्तूबर 2025 को अपने मासिक बुलेटिन का अक्तूबर 2025 अंक जारी किया। इस बुलेटिन में द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य (अक्तूबर 2025), पाँच भाषण, पाँच आलेख और वर्तमान सांख्यिकी को शामिल किया गया हैं।

पाँच भाषण निम्नानुसार हैं:

I. डिजिटल पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से आर्थिक सुदृढ़ता को सशक्त करने संबंधी उच्च स्तरीय संवाद में आरंभिक उद्बोधन - श्री संजय मल्होत्रा

II. डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर और फिनटेक के माध्यम से समावेशी और सतत संवृद्धि को बढ़ावा देना- श्री संजय मल्होत्रा
III. दायित्वपूर्ण कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) - वित्तीय स्थिरता के साथ नवाचार का संतुलन - श्री टी रबी शंकर
IV. समावेशन नवोन्मेष का सर्वोच्च उद्देश्य है: भारत से सीख- श्री स्वामीनाथन जे.
V. विकसित भारत के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बदलाव – श्री स्वामीनाथन जे

पाँच आलेख निम्नानुसार है:

I. **अर्थव्यवस्था की स्थिति**: वैश्विक अनिश्चितता बढ़ गई है। अमेरिका में, सितंबर में व्यापार और आर्थिक नीति दोनों में अनिश्चितता बढ़ी है। तथापि, वैश्विक संवृद्धि दर व्यापक तौर पर स्थिर रही है। अमेरिका-चीन व्यापार तनाव और अमेरिकी सरकार के लंबे समय तक बंद के कारण, उछाल के एक चरण के बाद, अक्तूबर में निवेशकों के मनोभावों में गिरावट आई। व्यापक वैश्विक अनिश्चितता और कमजोर बाह्य माँग के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था ने आघात-सहनीयता दिखाई। उच्च आवृत्ति वाले संकेतक, शहरी माँग में सुधार और ग्रामीण माँग में मजबूती की ओर इशारा करते हैं। हेडलाइन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति सितंबर में तेज़ी से कम हुई, जो जून 2017 के बाद से इसका सबसे निचला स्तर है।

II. **आघात-सहनीयता और बहाली: भारत का निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र**: यह अध्ययन इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे भारत के निजी कॉर्पोरेट्स ने कोविड महामारी के आघातों का सामना किया और मज़बूती से उभरे। सूचीबद्ध गैर-सरकारी गैर-वित्तीय कंपनियों के वित्तीय आंकड़ों पर आधारित, यह अध्ययन महामारी के बाद की अवधि में अनुकूलनशीलता, लाभप्रदता और तुलन पत्र की मजबूती के साथ वैश्विक आघातों का सामना करने की इस क्षेत्र की क्षमता को रेखांकित करता है।

III. **आईपीओ के माध्यम से भारतीय लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा धन जुटाना: हालिया रुझान और गतिविधियां**: लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमई) भारत की आर्थिक संवृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अक्सर औपचारिक वित्त तक पहुँचने में बाधाओं का सामना करते हैं। हाल के वर्षों में, समर्पित एसएमई एक्सचेंज, प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों (आईपीओ) के माध्यम से धन जुटाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरे हैं। यह आलेख वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत में एसएमई आईपीओ के निष्पादन और रुझानों की पड़ताल करता है, उनके विकास, बाजार व्यवहार और निवेशकों की प्रतिक्रिया का विश्लेषण करता है।

IV. **विश्वास के लिए अनुपालन: केंद्रीय बैंकों के लिए एक डेटा गुणवत्ता मॉडल**: केंद्रीय बैंक के कामकाज में विनियमित संस्थाओं से बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र से संबंधित भारी मात्रा में डेटा एकत्र करना शामिल है। जटिल डेटा पारितंत्र में, डेटा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना केंद्रीय बैंकों के लिए चुनौतीपूर्ण हो जाता है। चूँकि केंद्रीय बैंक को विभिन्न प्रकार के डेटा - विनियामक, पर्यवेक्षी और सांख्यिकीय - एकत्र करने का कार्य सौंपा गया है, इसलिए यह आलेख विनियमित संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत डेटा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने हेतु एक डेटा गुणवत्ता सूचकांक (डीक्यूआई) के निर्माण हेतु एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

V. **इस्पात पर संकट: भारत पर डंपिंग के प्रभाव को समझना**: 2023-24 और 2024-25 के दौरान प्रमुख वैश्विक इस्पात उत्पादकों से सस्ते आयात और डंपिंग के कारण भारत के इस्पात क्षेत्र को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस पृष्ठभूमि में, यह आलेख भारत के घरेलू इस्पात उत्पादन और खपत पर सस्ते आयात के समग्र स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करता है। इसके अलावा, विभिन्न आयात स्थलों में औसत आयात लोच के माध्यम से इस्पात आयात की मूल्य संवेदनशीलता का मूल्यांकन किया गया है।
विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

भुगतान प्रणाली रिपोर्ट, जून 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 23 अक्तूबर 2025 को छमाही भुगतान प्रणाली रिपोर्ट, जून 2025 प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में कैलेंडर वर्ष 2025 की पहली छमाही तक पिछले छह कैलेंडर वर्षों के दौरान भारत में विभिन्न भुगतान प्रणालियों का उपयोग करके किए गए भुगतान संबंधी लेनदेन की प्रवृत्ति के विश्लेषण के अतिरिक्त, भुगतान पारितंत्र की महत्वपूर्ण गतिविधियों और तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) प्रणाली के गहन विश्लेषण को शामिल किया गया है।

विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों के प्रबंधन संबंधी 45वीं छमाही रिपोर्ट

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 28 अक्तूबर 2025 को सितंबर 2025 के अंत के संदर्भ में विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों के प्रबंधन संबंधी 45वीं छमाही रिपोर्ट जारी की है। अप्रैल-सितंबर 2025 के दौरान भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां 668.33 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 700.09 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VII.जारी आंकड़े और सर्वेक्षण

अक्तूबर 2025 माह के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा जारी महत्वपूर्ण आंकड़े और सर्वेक्षण इस निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	शीर्षक
1	शहरी उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण
2	मुद्रास्फीति पर घरेलू अपेक्षाओं का सर्वेक्षण
3	समष्टि-आर्थिक संकेतकों पर पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं का सर्वेक्षण - 96वें दौर के परिणाम
4	ग्रामीण उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण
5	दिनांक 17 अक्तूबर 2025, शुक्रवार तक भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण
6	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शहरी उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण[1] के नवंबर 2025 दौर की शुरूआत
7	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ग्रामीण उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण नवंबर 2025 दौर की शुरुआत
8	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मुद्रास्फीति पर घरेलू अपेक्षाओं का सर्वेक्षण के नवंबर 2025 दौर की शुरुआत
9	त्रैमासिक सेवाएं और आधारभूत संरचना परिदृश्य सर्वेक्षण (एसआईओएस) के 47वें दौर की शुरुआत – 2025-26 की तीसरी तिमाही
10	मासिक औद्योगिक परिदृश्य सर्वेक्षण (आईओएस) के 112वां दौर: 2025-26 की तीसरी तिमाही

श्री ब्रिज राज द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई - 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित। मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रीव्यू https://mcir.rbi.org.in पर उपलब्ध है।